SPEED POST

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. NM/6/2016/MDEF2/SEPROM/RU-IV

Dated: 20.06.2017

To,

The Chairman,
Defence Research & Development Organistation,
Ministry of Defence,
C Block, DRDO Bhawan,
Rajaji Marg New Delhi- 110105

Sub: Proceedings of the sitting taken by Smt Maya Chitamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 17.05.2017 at 03.00 P.M in the matter of Shri N. Mangana, Sr. Stores Officer, Research Centre Imarat, Hyderabad regarding promotion.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the proceedings of the Sitting taken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 17.05.2017 at 03.00 PM on the above mentioned subject for necessary action. Action taken report in the matter may be intimated to the Commission, at an early date.

3706-08
20/6/17

जारी किया
ISSUED

Yours faithfully,

DSKumbhare 20/6/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

Copy to:-

1. Dr. Hina Gokhale,
   OS & Director, (Personnel)
   DRDO
   Ministry of Defence,
   C Block, DRDO Bhawan,
   Rajaji Marg New Delhi- 110105

O/C

2. Shri N. Mangana,
   Sr. Stores Officer, Grade- II
   DRDO, Ministry of Defence
   Research Centre Imarat,
   Hyderabad- 500069

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(फाइल सं. एन.एम / 6 / 2016 / एमडीईएफ 2 / एसईपीआरओएम / आर यू–4)

श्री एन मंगना, वरिष्ठ स्टोर ऑफिसर ग्रेड–2, रिसर्च सेंटर इमरात, हैदराबाद, (डी आर डी ओ, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) को पदोन्नति न देने के संबंध में परिवाद आयोग के माननीय सदस्य, श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते के समक्ष दिनांक 17.5.2017 को अपराह्न 3:00 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि एवं समयः 17.5.2017 समय 3:00 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण– अनुलग्नक 'क'

1. श्री एन मंगना, वरिष्ठ स्टोर ऑफिसर ग्रेड़–2, रिसर्च सेंटर इमरात, हैदराबाद ने दिनांक 21.11.2016 को आयोग में शिकायत की, कि वह 30 जून 2017 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके साथ वर्ष 1998 में पदोन्नति के समय भेदभाव हुआ है जिसके कारण समय पर पदोन्नति नहीं हुई जिसके कारण सेवानिवृत्त के समय अगले एस.एस.ओ ग्रेड–1 के वेतनमान के पेंशन के लाभों से वंचित हो जाएँगे। अतः वर्ष 2016 में एस.एस.ओ ग्रेड़–1 के प्रस्तावित पैनल में नाम सम्मिलित किया जाए एवं सर्विस योग्यता को शिथिल करते हुए आरक्षित उम्मीदवार को स्पेशल केस के रूप में 2017 में प्रमोशन प्रदान किया जाए, जिससे अगले पद एस.एस.ओ ग्रेड़–1 के पद का सेवानिवृत्त का लाभ मिल सके।

2. श्री एन मंगना, की शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए समसंख्यक नोटिस दिनांक 16.12.2016 द्वारा सचिव, डी.आर.डी.ओ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रकरण में तथ्यों की सूचना तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा। सूचना अप्राप्त होने के कारण आयोग ने समसंख्यक अनुस्मारक दिनांक 25.1.2017 द्वारा पुनः सूचना भेजने को कहा। डी.आर.डी.ओ, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ने पत्र संख्या डीओपी / एए1 / 67078 / मंगना / एस.टी दिनांक 10.2.2017 द्वारा सूचित किया कि श्री मंगना से कनिष्ठ अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया गया है। उच्च पद के लिए रेसीडेंसी अवधि पूर्ण करने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति विशेष को पदोन्नति प्रदान कर दी जाए। पदोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही किया जाता है। मामले में लैब / जोन्स से प्राप्त सूचना का परीक्षण के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintaman Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

9. सदस्य महोदय ने श्री मंगना से अपनी परेशानियॉं एवं कठिनाइयां बताने को कहा। श्री मंगना ने डी.आर.डी.ओ द्वारा वर्ष 1998 में पदोन्नति में अपनाए गए आरक्षण रोस्टर के कारण मैं अपने अगले पद से वंचित हो गया हूँ। इसके परिणामस्वरूप, एस.एस.ओ ग्रेड़–1 के पद के पेंशन के लाभों से भी वंचित हो जाउँगा। अतः मेरी सर्विस योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करते हुए मुझे सेवानिवृत्त से पहले अगले एस.एस.ओ ग्रेड–1 पर पदोन्नत किया जाए तथा मेरे अभ्यावेदन दिनांक 16.3.2017 पर बिन्दुवार कृत/की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

10. डी.आर.डी.ओ के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि अभ्यावेदन पर बिन्दुवार सूचना दी जा चुकी है और बताया कि अगले पद एस.एस.ओ. ग्रेड–1 के लिए रेसीडेंसी अवधि पांच साल होनी चाहिए, जो श्री मंगना पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अतः वर्ष 2017 के डीपीसी के योग्य वह नहीं है। श्री मंगना वर्ष 2018 के डीपीसी के लिए योग्य हो जाएँगे परंतु वह 30.6.2017 को सेवानिंवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त समय के कारण उन्हें वर्ष 2018 के डीपीसी के लाभ नहीं दिए जा सकते। डीपीसी का प्रकरण यूपीएसी के द्वारा निर्धारित होता है, सर्विस योग्यता में शिथिलता देने से विभाग में गलत संदेश जाएगा ।

11. आयोग ने श्री मंगना से पूछा कि तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है। श्री मंगना ने पुनः अपनी सर्विस योग्यता में शिथिलता प्रदान करके एवं अगले पद एस.एस.ओ. ग्रेड–1 पर प्रमोशन हेतु कहा। आयोग ने डी.आर.डी.ओ प्रतिनिधियों से कहा कि इनकी प्रार्थना पर मानवीय आधार पर विचार करें। डी.आर.डी.ओ के प्रतिनिधियों ने एस.एस.ओ. ग्रेड–1 पर प्रमोशन के लिए असमर्थता प्रकट की। परन्त, आश्वासन दिया कि श्री मंगना के वर्ष 1998 में प्रमोशन के समय आरक्षित पदों के लिए अपनाए गए आरक्षण रोस्टर का पुनः परीक्षण करेंगे। जिससे श्री मंगना को उचित न्याय मिल सके, इसके लिए हैदराबाद जाना होगा, क्योंकि संबंधित रिकॉर्ड वही उपलब्ध है।

12. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित संस्तुति की और कहा कि डी आर डी ओ द्वारा उक्त प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही से आयोग को दिनांक 06.06.2017 से पूर्व सूचित करे। क्योंकि श्री मंगना दिनांक 30.6.2017 को सेवानिवृत्त हो रहे है:–

(क) वर्ष 1998 में श्री मंगना के प्रमोशन के समय तथा तत्पश्चात डी.आर.डी.ओ. द्वारा अपनाए गए आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की प्रति, और

(ख) श्री मंगना द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 16.3.2017 के बिन्दु संख्या 11 तथा 15 में उठाए गए मामलों पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते
Smt. Maya Chintaman Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक 'क'

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(सं.एनएम/6/2016/एमडीईएफ 2/एसईपीआरओएम/आर यू–4)

श्री एन मंगना, वरिष्ठ स्टोर ऑफिसर ग्रेड़–2, रिसर्च सेंटर इमरात, हैदराबाद, (डी आर डी ओ, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) को पदोन्नति न देने के संबंध में आयोग के समक्ष दिनांक 17.5.2017 को अपराह्न 3:00 बजे हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

II- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य, अध्यक्षता
2. श्री डी.एस कुंभारे, अवर सचिव
3. श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

II डी.आर.डी.ओ, रक्षा मंत्रालय

1- डॉ हिना गोखले, OS & Director Personnel
2- श्री ए. के. पटनायक, Joint Director, DOP
3- डॉ बी के मिश्रा, Additional Director, DOP

III- याचिका कर्ता
श्री एन मंगना

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi